



प्रेस विज्ञप्ति

14.10.2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की मुख्यालय अन्वेषण इकाई ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा), 1999 की धारा 37 क के अंतर्गत भारत में मेसर्स रिलायंस पावर लिमिटेड (आरपीएल) की ₹2,032.81 करोड़ मूल्य की परिसंपत्तियां जब्त की हैं। जब्त परिसंपत्तियों में आरपीएल के बैंक खातों में उपलब्ध शेष राशि तथा मेसर्स सासन पावर लिमिटेड में उसकी शेयरधारिता शामिल है। ये परिसंपत्तियां फेमा की धारा 4 के उल्लंघन में भारत के बाहर रखी गई विदेशी मुद्रा के समतुल्य मूल्य की हैं।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) से प्राप्त सूचना के आधार पर अन्वेषण शुरू किया गया था। यह सूचना आरपीएल द्वारा अपनी लेखा पुस्तकों में कुल ₹2,101.46 करोड़ की राशि को बट्टे खाते में डालने/उसके लिए प्रावधान किए जाने से संबंधित थी। ये राशियां ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स (बीवीआई) और केमैन आइलैंड्स स्थित कंपनियों में किए गए विदेशी निवेश और उन्हें दिए गए अग्रिम से संबंधित थीं।

फेमा के अंतर्गत दिनांक 06.03.2026 से 08.03.2026 तक तलाशी कार्रवाई की गई, जिसके दौरान कई अपराध-संकेती साक्ष्य जब्त किए गए तथा अनेक व्यक्तियों के बयान दर्ज किए गए।

अन्वेषण से पता चला है कि रिलायंस नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड, जिसका बाद में आरपीएल में विलय हो गया था, ने वर्ष 2006 में विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बॉण्ड के माध्यम से 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाए थे। इसमें से 275 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि उसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सिंगापुर स्थित सहायक कंपनी, रिलायंस नेचुरल रिसोर्सेज (सिंगापुर) पीटीई लिमिटेड (आरएनआरएल-एस) में निवेश की गई थी।

आरएनआरएल-एस ने उक्त धनराशि को डॉयचे बैंक (सुइस) एसए, जिनेवा में जमा किया था। इन जमाराशियों का उपयोग ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स में निगमित संस्थाओं को दिए गए ऋणों के लिए संपार्श्विक के रूप में किया गया। अन्वेषण में पाया गया कि इन बीवीआई संस्थाओं का नियंत्रण और प्रबंधन रिलायंस अनिल अंबानी समूह (आरएएजी) द्वारा भारत से ऐसे मुखौटा व्यक्तियों के माध्यम से किया जा रहा था, जो समूह के निदेशों के अनुसार कार्य करते थे।

आगे की जांच में यह भी सामने आया कि ऋण से प्राप्त धनराशि का उपयोग विभिन्न प्रयोजनों के लिए किया गया, जिनमें मॉरीशस स्थित विदेशी संस्थाओं के माध्यम से धनराशि को अस्थायी रूप से घुमाकर भारत वापस लाना भी शामिल था। इस धनराशि का उपयोग रिलायंस अनिल अंबानी समूह के लाभ के लिए किया गया और इसे भारत के बाहर रखा गया।

बीवीआई संस्थाएं डॉयचे बैंक द्वारा दिए गए ऋणों का पुनर्भुगतान करने में विफल रहीं। इसे छिपाने के प्रयास के तहत ऐसे दस्तावेज तैयार किए गए, जिनसे यह दर्शाया जा सके कि आरएनआरएल-एस और आरपीएल की इंडोनेशिया स्थित सहायक कंपनियों ने इन बीवीआई संस्थाओं को कथित रूप से वास्तविक व्यावसायिक प्रयोजनों के लिए अग्रिम राशि दी थी। अन्वेषण के दौरान पाया गया कि इन दस्तावेजों को पूर्व दिनांकित किया गया था और इन लेन-देन को वास्तविक व्यावसायिक लेन-देन के रूप में दर्शाने के उद्देश्य से तैयार किया गया था।

आगे की जांच जारी है।